

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

दिनांक:- / / 2016

कमांक:-भू.अ./2016/

प्रेषिति.

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
चित्तौडगढ

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री शतनी देवी पिता राम लाल अदीर नि.
पुरोहित का राजस्व प.ह. 326/507/426 के राजस्व ग्रामपु. का राजस्व जमाबन्दी संवत.....
2078-2084 की खाता संख्या 202/203/223 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.
ने सम्मानजनक जाति/नाम शतनी देवी किये जाने की रिपोर्ट की है।

सम्मानजनक जाति/नाम शतनी देवी का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना
उचित है। दोनों जातियां (पूर्व एवं वर्तमान संशोधन से संबधित जाति) अनुसूचित जाति
श्रेणी के ही अन्तर्गत आती है/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है।

जाति संशोधन की रिथिति में राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42
(बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

तहसीलदार चित्तौडगढ

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

कमांक:-रीडर/2016/ 1056

दिनांक:- / / 2016

निमित्त.

पटवार हल्का गुम्बजिया

18/11/2015

विषय:-सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने वावत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री शतनी देवी पिता राम लाल अदीर
राजस्व ग्राम पुरोहित का राजस्व प.ह. 326/507/426 की खाता संख्या 202/203/223 में
जाति/नाम शतनी देवी दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व
पहचान प.ह. व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार चित्तौडगढ द्वारा भी जाति/नाम
सम्मानजनक किये जाने की अनुशंषा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री शतनी देवी पिता राम लाल अदीर
जाति/नाम शतनी देवी एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधित दर्ज
करने की रवोकृत एतद् द्वारा दी जाती है। प.ह. गुम्बजिया राजस्व रिकार्ड में
संशोधनानुसार अमल की पालना पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ

। प्रतिलिपि:-तहसीलदार चित्तौडगढ पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ